न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–351/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00195)

1. नगरमल पुत्र श्री देवाराम,
2. छोटूराम पुत्र श्री कजोड़मल,
3. प्रकाश पुत्र श्री भोलाराम, समस्त जाति अहीर, निवासीगण छोपाली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 16.08.2018 (प्रकरण संख्या 39/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा रास्ते से सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण अभियान 2017 के तहत जो प्रस्ताव दिया गया उस प्रस्ताव में खसरा नम्बर 2531, 2565 4635/2565 में से रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव किया है जिस प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकार कर अपीलधीन आदेश दिनांक पारित किया गया है जबकि खसरा नम्बर 2565 व 4635/2565 कैचमेन्ट एरिया में आता है जिसमें निमार्ण कार्य नही किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि सहायक अभियन्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा एस.बी. रिट पीटिशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 29.05.2012 को पारित निर्णय में दिये गये निर्णय की पालना में वॉटर बॉडिज के पानी के बहाव क्षेत्र में कोई निमार्ण नही होने पावें तथा वॉटर बाडिज के कैचमेन्ट एरिया में किसी तरह के परिवर्तन आदि की स्वीकृति नही दी जावे इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता अभियान के तहत रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि वैकल्पिक रास्ता पहाड़ी की दूसरी तरफ से आने–जाने हेतु उपलब्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 2565 व 4635/2565 से रास्ता लिये जाने का एक प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राईवेट पार्टी द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि ग्राम सोकडाला के लिऐ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

मौके पर पूर्व से ही रास्ता खसरा नम्बर 2531 गैर मुमकीन पहाड़ से होकर चालू है तथा इस रास्ते का सरकारी दुरूस्तीकरण भी किया गया है और वांछित रास्ता कैचमेन्ट एरिया भराव क्षेत्र से मांगा गया है, इस प्रकार रास्ता अभियान के तहत जिन खसरा नम्बर से जो रास्ता काटा जा रहा है वहॉ से काई रास्ता मौजूद नही है, वहॉ से 251ए का प्रार्थना पत्र प्राईवेट पार्टी की पहले भी खारिज हुआ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए एक परिपत्र निकाला था, उस जिसमें रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभ्यिान–2016 जिसमें समस्या थी कि सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नही है कई जगह कच्ची या पक्की सड़क बनी गयी है समस्या नम्बर–2 थी कि राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चाजलू एवं राजस्व नक्शे मे रेखा बिन्दुओं(डोटेड लाईन) में दर्ज सार्वजनिक रास्ते, कई जगह कच्ची पक्की सड़क भी बन गई है, उपरोक्त दोनों ही र्ते अपीलाथ्र के खसरानमब्रपर लागू नही होती है अपीलाथ्र के खसरानमबर से न तो कोई रास्ता मौके परचालू तथारिकार्ड मे द्र है न ही राजस्व नक्शें में न्दिुओ मे दज है कक्योंकि अपीलार्थी का खसरा नम्बर 2565, 4635/2565 कैचमेनट ऐरियामें आता है जहॉ परमौक परकोई रासतानही ह ना ही काई आवाजाही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित अपीलीधीन आदेशदिनांक 16.08.2018 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकारफरमाई जाकर अधीनस्था न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस आदि भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा खातेदारी व सरकारी भूमि में चल रहे रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

P.T.O.

जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष प्रभाावित पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।